

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाड़ी बनाम देवेन्द्र मीणा।

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 24 सन् 2019

RCMS No. 2019/00044


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय
13.06.19	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री अशोक कुमार यादव पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाड़ी ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या श्री देवेन्द्र मीणा पुत्र श्री चन्द्रभान मीणा निवासी मन्दिर के पास ग्राम कुहावनी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 26.04.2018 को 20,00,000/-रूपये मात्र (बीस लाख रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आरिस्त से रक्षित है:- भूमि व भवन खसरा नम्बर 2912/6119 महाराजा बाग, एडीएमएन 136.40 स्क्वायर यार्ड तहसील बाड़ी जिला धौलपुर राज0 में स्थित है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:- पूर्व में 45'3" अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में 48' श्री राघवेन्द्र पटवारी का मकान, उत्तर में 26' खली जगह, दक्षिण में 26'8 श्री अमरसिंह का मकान है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.12.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 11.02.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 20,42,100/-रूपये मात्र दिनांक 31.12.2018 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज</p>	



नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति भूमि व भवन खसरा नम्बर 2912/6119 महाराजा बाग, एडीएमएन 136.40 स्क्वायर यार्ड तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0 में स्थित है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं:-पूर्व में 45'3" अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में 48' श्री राघवेन्द्र पटवारी का मकान, उत्तर में 26' खली जगह, दक्षिण में 26'8 श्री अमरसिंह का मकान है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 13.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नेहा मेहा गिरि
जिला मजिस्ट्रेट एवं धौलपुर मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)